CHETANA
International Journal of Education
(CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))

Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

शोध-पत्र

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received 11.02.2023 | Reviewed 17.02.2023 | Accepted 29.03.2023

अनुसूचित जाति जनजाति–संवैधानिक प्रावधान व सामाजिक यथार्थ–एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

*डॉ. अनिल कुमार सरोवा

मुख्य शब्द - *सामाजिक आर्थिक व राजनीति लोकतंत्र, स्वाधीनता संग्राम, सौहार्दपरक भ्रातृत्व आदि.*

सारांश

20 दिसम्बर 2020 को दैनिक भास्कर मे एक खबर छपी 'जेलों मे बंदियों को जाति पूछकर दिये जा रहे हैं, काम'। इसके बाद 25 दिस. 2020 को दैनिक भास्कर में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लोगों पर सख्त टिप्पणी किये जाने का समाचार आता है 'सदियों से एस. सी.–एस. टी. से खराब व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए' जस्टिस एन. किरुबाकरण व पुगालेंधी की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा 'हमने सदियों से एस. सी.–एस. टी. से खराब व्यवहार किया। आज भी उनसे ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। उनके पास पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। इसके ले हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए'। ऐसे समाचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी हम उस सामाजिक आर्थिक व राजनीति लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाये हैं जिसकी कल्पना हमारे स्वाधीनता संग्राम के नायकों तथा संविधान निर्माताओं ने की थी ।

भारतीय स्वतन्त्रता के सूर्योदय पर महात्मा गांधी ने कहा था, काँग्रेस ने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, किन्तु इसे आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्वतन्त्रता अभी प्राप्त करनी है। ये स्वतन्त्रताएं राजनैतिक तुलना में कठिन है, क्योंकि ये रचनात्मक है और कम आकर्षक है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए ही किया गया संघर्ष नहीं था। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति तो एक औजार था, नये न्यायपूर्ण, समतापरक नैतिकतापूर्ण, सौहार्दपरक भ्रातृत्व युक्त समाज के निर्माण का।

1931 में कराची में सम्पन्न राष्ट्रीय काँग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई थी की "भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष का लक्ष्य न केवल अंग्रेजी शासन से राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है, अपितु आम जनता के शोषण का अन्त .. और लाखों भूखे मरने वालों के लिये वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता है"। जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ वर्षों बाद लिखा कि राजनैतिक स्वतन्त्रता एक लक्ष्य के लिए साधन मात्र होगी और वह लक्ष्य है लोगों को ऊपर उठाना.. ऊँचे स्तरों तक, अतः मानव मात्र की सामान्य प्रगति। संविधान सभा में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राजनैतिक स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र को सामाजिक, आर्थिक क्रान्ति की प्रक्रिया की शुरुआत या दूसरे शब्दों में भारतीय समाज के ढाँचे में आधारभूत परिवर्तन कहा"।[i]

संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान को एक ऐसे औजार के रूप निर्मित किया, जिससे भारतीय सामाजिक ढाँचे में आधारभूत परिवर्तन किया जा सके। जिससे भारत में न केवल राजनैतिक संरचनात्मक लोकतन्त्र की ही स्थापना है। वरन भारतीय समाज का भी लोकतंत्रिकरण हो और सच्चे अर्थों में सभी नागरिकों को लोकतान्त्रिक अधिकारों की प्राप्ति हो। किन्तु आजादी के 73 वर्षों बाद भी हम उस लक्ष्य को

प्राप्त कर पाने में असफल रहे है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा शोध अध्ययन रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि सामाजिक भेदभाव की परम्परा आज भी बदस्तूर जारी है।

अनुसूचित जाति व जन जाति की परिभाषा

वैसे तो भारतीय समाज के हर स्तर पर विभेदीकरण है, किन्तु दलित वर्ग जिसमें हम अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमुखता से रखते हैं इस भेदभाव का सबसे ज्यादा शिकार है। "भारत में अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जाति माना जाता है। अतः इसकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर की जाती है। साधारणतया अनुसूचित जाति से अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है, जिन्हे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। डॉ. के. एन. शर्मा".. अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े"। एच. हट्टन के अनुसार अस्पृश्य वे हैं जो ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य है। स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाई, कुम्हार, दर्जी की भी सेवाओं से वंचित हो। हिन्दू मंदिरों में प्रवेश के अयोग्य हो, पाठशाला, सड़क, कुआ, तालाब का प्रयोग करने के काबिल न हो, वही अस्पृश्य या अनुसूचित जाति है।

अनुसूचित जाति शब्द पहली बार साइमन कमीशन द्वारा 1927 में प्रयुक्त किया गया। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग 1931 की जनगणना में किया गया ।

अनुसूचित जनजाति शब्द की न तो कोई सर्वमान्य परिभाषा है, और न ही कोई निश्चित आधार है कि अनुसूचित जनजाति किसे कहे।

रेडक्लिफ ब्राउन इवान प्रिचारड तथा नाडेल जैसे ब्रिटिश मानव शास्त्रियों ने सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति का प्रयोग एक ऐसे समूह के लिए किया था, जिसकी एक विशिष्ट एवं सामान्य से हटकर जीवन शैली थी। इनके निवास का एक निश्चित दायरा था तथा वे एक स्वशासी राजनीतिक समूह के रूप में संगठित थे। सर्वमान्य परिभाषा के अभाव में संसार के विभिन्न भू–भाग में रहने वाले कुछ जनसमूहों को उनकी कुछ विशिष्ट शारीरिक, सांस्कृतिक, भौतिक विशेषताओं के आधार पर, उन्हें जनजाति के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारत में जनजाति उन्हे कहा जाता है जो पठारी, पहाड़ी भू–भाग के वनाच्छादित क्षेत्रों में निवास करते हैं। जो आत्मवाद जैसे आदिम धर्म को मानते है। जिनकी जीविका किसी आदिम व्यवसाय पर आधारित हो जैसे शिकार करना, फलफूल संकलन। जो प्राचीन भाषा समूह के किसी आदिम स्वरूप का इस्तेमाल करते हैं।[iii]

जनजाति (Tribe) वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास से पूर्व अस्तित्व में था, या जो अब भी राज्य के बाहर है।[iv]

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः अनु. 366(25) अनुसूचित जनजाति का संदर्भ उन समुदाओं के रूप में करता है जिन्हे संविधान ने अनु. 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है। अनु. 342 के अनुसार "अनुसूचित जनजाति वे आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह है जिन्हे राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इन प्रकार घोषित किया गया है।"[v]

स्वतन्त्रता, समान व न्याय

स्वतन्त्रता व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है। "स्वतन्त्रता के द्वारा कुछ बुनियादी अधिकारों की आशा की जाती है जो व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए आवश्यक है, किन्तु समाज की रचना यदि असमानता पर आधारित है तो स्वतन्त्रता के अधिकार का कोई महत्व नहीं रहता।[vi] असमानता दो प्रकार की होती है– एक प्राकृतिक या नैसर्गिक असमानता– जो व्यक्ति के जैविक तत्वों से जुड़ी होती है। जैसे उसकी शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, लिंग, बौद्धिक क्षमता। दूसरी असमानता समाज द्वारा आरोपित असमानता होती है। "मानव जाति के संबंध में प्राकृतिक असमानता और भिन्नता की तुलना में सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता व भेद अधिक महत्वपूर्ण है। .. (क्योंकि) व्यक्ति समाज में जो कुछ अर्जित करता है वह बहुत कुछ उसकी योग्यता और

उसे प्राप्त होने वाले अवसरों पर निर्भर करता है। जहां तक अवसर का प्रश्न है वह व्यक्ति पर नहीं अपितु समाज पर निर्भर करता है।[vii] जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कान्ट के अनुसार हर व्यक्ति की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, तो उनमे से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हे अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में गरीब दलित अस्पृश्य जाति से संबंधित व्यक्ति की गरिमा स्वीकार्य नहीं है। अतः उन्हे प्रतिभा के विकास तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के अवसर भी प्राप्य नहीं है। जैसा कि डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने कहा है "हिन्दू सोसायटी उस बहुमंजिला मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाजा, जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसी मंजिल में मरना होता है।"

संविधान सभा में डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने भाषण देते हुए कहा था कि "26 जनवरी 1950 को हम जीवन की परस्पर विरोधात्मक परिस्थितियों में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम में समानता रहेगी.. और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हम में असमानता रहेगी, ऐसी परस्पर विरोधात्मक परिस्थितियों में हम कब तक जीवित रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कितने दिनों तक नकारते रहेंगे? यदि हम इसे और अधिक नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे मे डालकर ही ऐसा करेंगे। अम्बेडकर का यह भी कहना था कि "संसदीय लोकतंत्र दूषित करने वाली दूसरी गलत विचारधारा है, जिसमें आभास नहीं होता कि जब तक आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता. .।[viii] अतः भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की गई।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान किये। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रयास किये गये—

1. परम्परागत शास्त्रीय नियमों जो भेदभाव व अन्याय पर आधारित थे, समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर संविधान के रूप में सामाजिक न्याय पर आधारित एक नई संहिता को अंगीकार किया गया।
2. संविधान व उसके अनुयायी नए विधानों के लागू होने के साथ जाति व जाति से संबंधित जजमानी व जमींदारी व्यवस्थाओं आदि का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो गया। जिससे न्याय पर आधारित समतावादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
3. संवैधानिक निर्देशों के अनुरुप समाज के अशिक्षित, कमजोर निर्धन तथा अन्याय व शोषण से पीड़ित तबकों के उत्थान के लिए शासन द्वारा समयबद्ध व नियोजित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना भी सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।[ix]

अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु संवैधानिक प्रावधान

1. संविधान के अनु. 17 द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसके प्रचलन पर रोक लगायी गयी है। इस उपबन्ध के तहत 1955 में भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध सम्बन्धी अधिनियम पारित किया, जो जून 1955 से लागू है। इसके तहत अस्पृश्यता का आचरण करने पर 6 माह की कैद तथा 500 रु. का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। 1976 के संविधान संशोधन द्वारा इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में इसे और अधिक कठोर बनते हुए इसे "अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून, 1989 का नाम दिया गया।
2. अनु. 46 के तहत "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"
3. अनु. 25(ख) द्वारा सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में प्रवेश की छूट दी गई है। इस अनु. के अनुसार "संविधान सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबन्ध करता है।"
4. अनु 15(2) सभी को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की छूट देता है।

5. अनु. 19(5) के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करने हेतु भारत के आम नागरिकों को भारत में किसी भी स्थान पर आने जाने, रहने तथा बसने तथा सम्पत्ति के खरीद व बेचान सम्बन्धित अधिकार पर उचित प्रतिबद्ध लगता है।
6. संविधान का अनु. 29 (2) कहता है कि "राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा, मूलवंश या इनमे से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।"
7. अनु 16 व 335 द्वारा "संविधान के अनुसार राज्य को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने तथा इस संबंध में उनके दावों पर विचार करने का अधिकार है"।
8. अनु. 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हे सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगा।
9. अनु. 330 के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोक सभा में सीटें आरक्षित की गई है। इसके तहत SC को लोकसभा में 543 में से 79 सीटें तथा ST को 41 सीटों पर आरक्षण दिया गया है।
10. अनु 332 राज्य विधान सभाओं में SC व ST के लिए सीटें आरक्षित करना। इसके माध्यम से राज्य विधान सभाओं में कुल 4047 में से 557 सीटें SC के लिए तथा 527 सीटें ST के लिए आरक्षित है।
11. अनु 164 तथा 338 द्वारा अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण व हितों की रक्षा हेतु जनजातीय सलाहकार परिषदों, विभागों तथा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

"सामान्यतया यह अपेक्षा की जाती है कि संविधान द्वारा समानता की प्रत्याभूति सुनिश्चित कर देने से सभी के साथ समान बर्ताव होना लगेगा किन्तु यह सत्य नहीं हैं। कानून के समक्ष समानता की व्यवहार में शत– प्रतिशत परिणति आसान नहीं है। .. इसका एक मुख्य कारण यह है कि सामाजिक न्याय के लिए प्रावधान करते समय केवल वैधानिक मार्ग को ही ध्यान में रखा गया, समस्या के भौतिक पक्ष की अनदेखी की गई। इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि जब तक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तब तक उसकी मुक्ति के प्रयास अर्थपूर्ण और सार्थक नहीं हो सकते।[x]

अनुसूचित जाति व जनजाति की स्थिति

"संवैधानिक प्रावधानों और शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी विविध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद अनुसूचित जाति जनजातियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया है। समाज में न तो जात–पात का भेदभाव हट सका है और न ही दलितों की पहचान मिट सकी। इसके विपरीत समाज में विभिन्न जातियों के बीच आपसी सामंजस्य कम होकर सामाजिक तनाव पैदा हुआ है.. ऐसे माहौल में जहां गैर दलित जातियों के लोग ब्राह्मण बनाम दलित अथवा फारवर्ड बनाम बैकवर्ड खेमों में बँट रहे हैं, दलितों का शेष समाज के साथ एकीकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता। परिणामस्वरूप दलितों का उत्पीड़न एवं शोषण बढ़ा है तथा उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हुई है"।[xi] इसकी पुष्टि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से भी होती है।

भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराधध्अत्याचार के पंजीकृत मामले (वर्ष 2007 से 2016)

क्र. स.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल पंजीकृत मामले
1	2007	30,031	5,532	35,563
2	2008	33,615	5,582	39,197
3	2009	33,594	5,425	39,019
4	2010	32,712	5,885	38,597

5	2011	33,719	5,756	39,475
6	2012	33,655	5,922	39,577
7	2013	39,408	6,793	46,201
8	2014	40,300	6,826	47,126
9	2015	38,564	6,275	44,839
10	2016	40,801	6,568	47,369

स्त्रोत– क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार के 2007 से 2016 तक के प्रतिवेदन

"राजनीतिज्ञों, प्रशासकों ने और आर्थिक नीतियों के निर्धारकों ने देश के आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी और सामाजिक न्याय को गौण स्थान दिया। यही कारण है कि राष्ट्रीय आय तो बढ़ी पर चंद पूँजीपतियों की तिजोरियों में सिमटती गई। आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। भूमि सुधारों के बावजूद भूमिहीनों का प्रतिशत बढ़ा है और देश की भू–सम्पदा बँटवारे के बावजूद पहले से कम हाथों में सिकुड़ रही है।"[xii]

2011 की जनगणना उपरोक्त कथन को सिद्ध करती है। 2011 की जनगणना में कई सवाल पूछे गये किन्तु सरकार ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। सरकार ने जाति के बारे में आँकड न बताते हुए ग्रामीण भारत के संबंध में आँकड़े जारी किये । शहरी आँकड़े भी जाहीर नहीं किये गये। जो आँकड़े सार्वजनिक किये गये उनसे साफ है कि गरीबी बढ़ रही है। अनुसूचितजाति व जनजाति के हर तीन परिवारों में से एक भूमिहीन है, और इनका प्रमाण बढ़ रहा है। किसानों और आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले पूंजीपति बढ़ रहे हैं।"[xiii]

देशभर में दलितों की कुल आबादी 25 करोड़ 9 लाख 61 हजार 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी की 24.4% हिस्सेदारी दलितों की है। जिसमे अनुसूचित जाति के 16 करोड़ 66 लाख 35 हजार 700 लोग है। जो कुल आबादी का 16.2% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8 करोड़, 43 लाख, 26 हजार 240 है। जो कुल आबादी का 8.2% है। ये क्षेत्रफल के करीब 15% हिस्से पर निवास करते हैं। इनमें से 52% गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.1% तथा जनजाति की साक्षरता 59% है। अनुसूचित जाति का लिंगनुपात 933 तथा जनजाति का 975 है।[xiv]
"2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 24.39 करोड़ परिवार हैं। इनमे से 17.91 करोड़ परिवार गावों में रहते हैं। जिसमे अनुसूचित जाति व जनजाति के 3.86 करोड़ परिवार शामिल हैं जो 21.53% है, और उनके घर के छप्पर और दीवारें पक्की नहीं है। अनुसूचित जाति के 1.80 करोड़ परिवार (54.67%) भूमिहीन है और अनुसूचित जनजाति के 70 लाख यानि 35.62% परिवार भूमिहीन है। ग्रामीण भारत में 5000 रु. में जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के 83.53% परिवार और अनुसूचित जाति के 86.51: परिवार है। 5000 रु. मे बसर करने वाले शेष जाति के परिवारों का प्रतिशत 74.49 है।[xv]

समाज में यह सामान्य धारणा प्रचलित है कि SC व ST को तो आरक्षण के माध्यम से (बिना योग्यता या कम योग्यता बावजूद) आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाति है, जबकि हकीकत ठीक उसके विपरीत है। SC व ST को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण के बावजूद भी मात्र 3.36% sc तथा 4.38% ST के लोग नौकरियों में है। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित

जाति की भागीदारी 0.93% जबकि अनुसूचित जनजाति की 0.58% है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में SC की भागीदारी 2.42% तथा ST की भागीदारी 1.48% है।"[xvi] इसकी तुलना आजादी से पूर्व की स्थितियों से करे तो हम पायेंगे कि उस समय और इस समय की अनुसूचित जाति और जनजाति के नौकरियों के अनुपात में कोई खासा परिवर्तन नहीं आया है।[xvii]

जातियां		अनुमानित जनसंख्या लाखों में	जनसंख्या का प्रतिशत	संपूर्ण राजपत्रित पदों (2200) में से प्राप्त संख्या	की गई नियुक्तियों का अनुपात	अराजपत्रित पद			
						सौ रुपये से अधिक वाले कुल पद 7500		35 रु. से अधिक वाले पद 20782	
						नियुक्त पदों की संख्या	नियुक्त किये गये पदों का प्रतिशत	नियुक्त पदों की संख्या	नियुक्त किये गये पदों का प्रतिशत
1		2	3	4	5	6	7	8	9
ब्राह्मण		15	3	820	37	3280	43.73	8812	42.4
ईसाई		20	4	190	9	750	10	1655	8.0
मुसलमान		37	7	150	7	497	6.63	1624	7.8
गैर ब्राह्मण	दलित वर्ग	70	14	25	1.5	396	0.52	144	0.69
	आगे बढ़े गैर-ब्राह्मण	113	22	620	27	2543	33.9	8440	40.6
	पिछड़ा वर्ग	245	50	50	2				
एशिया के बाहर के एंग्लोइंडियन						372	5.0	83	0.4
अन्य जातियां						19	0.5	24	0.11

विडंबना यह है कि गैर आरक्षित जातियों में यह प्रचार है कि उन्हे रोजगार आरक्षण के कारण नहीं मिल पा रहा है और आरक्षित जातियाँ, आरक्षण के अनुरुप पदों को नहीं भरे जाने यानि बैकलोग न भरे जाने के लिए उच्च पदों पर मौजूद गैर आरक्षित जातियों को जिम्मेदार मान रही है।[xviii] जबकि सच्चाई कुछ और ही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी को दोनों ही वर्गों ने अनदेखा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लाईमेन्ट तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लाईमेन्ट एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर पड़े आँकड़े जो 1995 से लेकर 31 मार्च 2011 तक के है, बताते है कि देश में 1995 में सभी केन्द्रीय राज्य, अर्धशासकीय व स्थानीय निकायों के कुल कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ 94 लाख 66 हजार थी। 31 मार्च 2011 तक यह संख्या घटकर 1 करोड़ 75 लाख 48 हजार रह गई । इसका मतलब हुआ कि 20 साल में 19 लाख 18 हजार कर्मचारियों कि संख्या कम हो गई या इतने स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए गए है।[xix]

सामान्यतः यह माना जाता है और यह सच भी है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो इस वर्ग को जाति के इस अभिशाप से मुक्ति दिल सकता है। किन्तु शिक्षा के द्वारा तक इस वर्ग की पहुँच आसान नहीं है। जैसा की पी. एस. कृष्णन का कहना है कि यहाँ भी एकलव्य की कहानी दोहराई जाती है। हमारा शैक्षणिक वातावरण ऐसा है कि इसमें दलित जाति के गरीब छात्रों का समायोजन अत्यंत मुश्किल है। 22 अप्रैल 2014 को ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट "वे कहते हैं हम गंदे हैं" भारत हाशिये पर रह रहे बच्चों को शिक्षा से वंचित करना प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली राज्यों में किये गये अनुसंधान पर आधारित है। रिपोर्ट बताती है कि दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रायः कक्षा में पीछे या अलग कमरे में बैठाया जाता है, उन्हे अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता है, नेतृत्व की भूमिकाओं से वंचित रखा जाता है और भोजन भी आखिर में परोसा जाता है, उनसे शौचालय तक साफ करवाए जाते हैं। अध्यापिका छात्रों के साथ नहीं बैठती वह कहती है "हम गंदे हैं" ।(जैसा छात्रों ने बताया)[xx] कुछ ऐसे ही निष्कर्ष एकलव्य संस्था द्वारा किये गये शोध से प्रकट होते हैं। शिक्षा

का वातावरण व शिक्षकों की भूमिका ऐसी है कि इस वर्ग के छात्रों का अन्य छात्रों के साथ समायोजन न करके विभेदीकरण तथा घृणा को बढ़ती है।[xxi]

संविधान के अनु. 338 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण व हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है किन्तु सरकारों की रुचि इसकी शिफारिशों व सुझाव में नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की विशेष रिपोर्ट जो मई 2012 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई थी। इसके पेरा न. 8 में बताया गया है की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग ने अब तक अपनी पाँच वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। .. प्रथम रिपोर्ट को भी अभी तक संसद में नहीं रखा गया है। संविधान के अनु. 338(5) के उपखंड (5) में प्रावधान किया गया है कि रिपोर्ट की प्रतियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में नहीं रखी गई।

पेरा न. 5, वर्ष 2009 में अन्तर्क्षेत्रीय मुद्दों पर स्थाई समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट, जिसका विषय अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं शासन के मानक है, में खेद व्यक्त किया है कि सभी केन्द्रीय और राज्य विधायनों में राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति की जरूरत के अनुसार अच्छी तरह तालमेल करने के संबंध में संविधान की 8 वी अनुसूची में विशेष प्रावधान गणतंत्र के पिछले 60 वर्षों के दौरान मृत प्राय है।

आयोग ने जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत विशेष सहायता राशि तथा अनु. 275 (1) के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता अनुदानों की राशियों को राज्य सरकारें कार्यान्वयन अभिकरणों को समय पर नहीं देती जिसके कारण राज्य सरकारों के पास खर्च न की गई विशाल राशि जमा पड़ी है।

सरकारों के इन वर्गों से जुड़े संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकायों की सिफररिशों व प्रतावों को गंभीरता से लेते हुए इन पर समयबद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इन वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रावधानों में आवंटित राशि का उचित समय पर हस्तान्तरण करने तथा इनके उचित इस्तेमाल पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

प रॉमस, पैंथम, डॉ. बृजभूषण पालीवाल (अनु.) राजनैतिक सिद्धान्त एवं सामाजिक पुननिर्माण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2008 प्रष्ठ –1

ii रॉमस, पैंथम, डॉ. बृजभूषण पालीवाल (अनु.) राजनैतिक सिद्धान्त एवं सामाजिक पुननिर्माण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2008 प्रष्ठ –1

iii के. पी. सिंह http://collegestar.in/?.p=9117

iv http://hi.m.wikipedia.org>wiki-जनजाति...

v http://hi.vikaspedia.in/social-welfare

vi डॉ. पुरणमल, दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 202 पृ. 20

vii डॉ. रामगोपाल सिंह, सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006, प्र. 7 व 9

viii डॉ. भीम राव अम्बेडकर, गांधी एवं अछूतों का उद्धार, सम्पूर्ण वाडमय खण्ड 17, www.ambedkarfoundation.nic.in...pdf

ix डॉ. रामगोपाल सिंह, सामाजिक न्याय एवं दलितसंघर्ष .. प्र. 37

x डॉ. रामगोपाल सिंह, सामाजिक न्याय एवं दलितसंघर्ष .. प्र. 12

xi डॉ. पुरणमल, दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 202 पृ. आमुख (VIII)

xii डॉ. पुरणमल, दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 202 पृ. 103

xiii www.forwardpress.in>2015/12

xiv hindi.quint.com>news>stat

xv www.forwardpress.in>2015/12

xvi www.forwardpress.in>2015/12

xvii डॉ. भीम राव अम्बेडकर, गांधी एवं अछूतों का उद्धार, सम्पूर्ण वाडमय खण्ड 17, www.ambedkarfoundation.nic.in...pdf

xviii मुशर्रफ, आली, रोजगार मे आरक्षण, उद्भावना, वर्ष 03% अंक 134, ऑक. दिस. 2018 प्र. 62

xix http://www.hrw.org/hi/news/2014/4/22/253438

xx http://www.eklavya.in.magazine-activity/sanclarbh-magazine/282

xxi Tribal.nic.in>document

Corresponding Author

*** डॉ. अनिल कुमार सरोवा**

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

Email: sarowaanil@gmail.com, Mob: 7073510379